भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-63

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020

†63 डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री संजय दिना पाटील:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रूप से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एनईपी, 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) महाराष्ट्र राज्य में स्कूली शिक्षा में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के संबंध में एनईपी का प्रभाव कितना है;

(घ) सरकार द्वारा एनईपी, 2020 दिशानिर्देशों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने स्कूल स्तर पर एक लचीले और बहु-विषयक पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा एनईपी, 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण में सुधारों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) सरकार द्वारा एनईपी, 2020 के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) एनईपी, 2020 योजना के द्वारा विशेषकर सीमांत और वंचित समुदायों के समावेशन और समानता संबंधी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूल शिक्षा में समग्र शिक्षा को एनईपी की सिफारिश के साथ अनुकूलित करने, कक्षा 2 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); तीन महीने के प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ ऑनलाइन / ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या; ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा); बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाई गई खेल-आधारित शिक्षण सामग्री के लिए जादुई पिटारा; स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) - माध्यमिक स्तर तक की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा को सहायता करना, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) - प्राथमिक, माध्यमिक, एफएलएन (आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान) और ईसीसीई (प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा); विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास"(समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) योजना का कार्यान्वयन, आदि।

एनईपी 2020 की सभी पहलों को संचालित करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करने वाले अनुकरणीय विद्यालयों में 14500 से अधिक चुनिंदा विद्यालयों का निर्माण करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्कूल फ़ॉर राइज़िंग इंडिया (पीएम श्री) योजना शुरू की गई है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

- महाराष्ट्र के लिए एनईपी कार्यान्वयन हेतु कुल **209** कार्य हैं।
- इन कुल **209** कार्यों में से, वर्तमान में **67** कार्य पूरे हो चुके हैं।
- **74** कार्य अभी भी प्रगति पर हैं।
- **20** कार्य ऐसे हैं जिन पर काम शुरू होना बाकी है।
- **28** कार्य ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं लेकिन निरंतर आधार पर जारी रहेंगे।
- **2** कार्य नीतिगत कार्य हैं।

(**ख**): एनईपी 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली भी प्रदान करता है। इसमें 2030-40 के दशक में पूरी नीति के संचालन की भी परिकल्पना की गई है, जिसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र और राज्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के विनियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कई पहलें की हैं।

इसके अलावा, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और निर्धारित मानदंडों और मानकों का पालन करते हुए एनईपी **2020** के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(**ग**): समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, **2020** के अनुरुप बनाया गया है, जिसका उद्देश्य नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना **(5+3+3+4)** की शुरूआत, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा तथा मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और बालवाटिका (प्रीस्कूल) के **3** वर्षों से कक्षा **12** तक की सम्पूर्ण शिक्षा सातत्य को कवर करना है। सभी **36** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निपुण भारत मिशन को क्रियान्वित कर रहे हैं।
"राष्ट्रीय बोध पठन एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत)" नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 के अंत तक आवश्यक रूप से मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त कर ले। कक्षा-**1** के बच्चों के लिए तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल- विद्या प्रवेश के लिए दिशानिर्देश **29** जुलाई, **2021** को शुरू किए गए हैं। सभी **36** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्या प्रवेश कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं।

महाराष्ट्र ने मिशन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए **27** अक्टूबर **2021** को सरकारी संकल्प जारी किया। इस सरकारी संकल्प में सभी हितधारकों को सभी लक्ष्यों की जानकारी दे दी गई है। इसके अनुसार, राज्य प्रोग्रामिंग इकाई और संचालन समिति का गठन किया गया है। सभी जिलों ने जिला संचालन समिति और जिला पी.एम.यू. का गठन किया है और वे क्षेत्र स्तर पर सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। संबंधित हितधारकों को संशोधित लक्ष्य भी बता दिए गए हैं। राज्य और जिला स्तर पर अकादमिक टास्क फोर्स और जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

- **निपुणोत्सव कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के तहत निपुण ब्लॉक या निपुण क्लस्टर घोषित करने के लिए सभी हितधारकों को मापदंड बता दिए गए हैं। स्कूलों को एफएलएन के लिए अलग-अलग गतिविधियाँ आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

- शिक्षकों का प्रशिक्षण: कक्षा **1** से **5** तक के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है (नए शिक्षकों सहित) ताकि आधारभूत स्तर के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के

लिए अपेक्षित क्षमता सुनिश्चित की जा सके। कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी 3,25,000 शिक्षकों (100%) को आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसका नाम "अध्ययन प्रक्रिया व्यवस्थापन" (अधिगम प्रक्रिया का प्रबंधन) है। यह प्रशिक्षण गतिविधि और प्रौद्योगिकी पर आधारित था। क्लस्टर बैठकों में शिक्षकों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी दिया गया।

- **छात्रों के लिए एफएलएन कार्यपुस्तिका:** शिक्षणशास्त्र और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीएलएम वितरित किए गए हैं।

- **एफएलएन निष्ठा प्रशिक्षण:**
  - दीक्षा पोर्टल की सहायता से शिक्षकों का ऑनलाइन उन्मुखीकरण और सभी प्राथमिक शिक्षकों को एफएलएन निष्ठा प्रशिक्षण दिया गया है।
  - निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 और 1 अप्रैल 2022 से 9 मई 2022 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया है।
  - निष्ठा 3.0 कार्यक्रम के तहत कुल 12 मॉड्यूल बनाए गए।
  - निष्ठा 3.0 (एफएलएन) प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दीक्षा पोर्टल पर 45-60 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करके कुल 2,39,172 प्रशिक्षुओं ने यह प्रशिक्षण लिया है।
- **एफएलएन पर राष्ट्रीय सम्मेलन**: राज्य एफएलएन पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, अपनी शैक्षिक रणनीतियों को मजबूत करने के लिए अन्य क्षेत्रों से सर्वोत्तम प्रथाओं और विद्याओं को साझा कर रहा है। उदाहरण के लिए, 17-18 जून, 2023 को आयोजित एफएलएन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, महाराष्ट्र ने अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर बहुभाषावाद के संदर्भ में शिक्षण-अधिगम दृष्टिकोण और शिक्षाशास्त्र में सुधार लाने के उद्देश्य से अपनी पहलों का प्रदर्शन किया।

• शिक्षक गतिविधि पुस्तिका: शिक्षक गतिविधि पुस्तिका के रूप में शिक्षक सहायक सामग्री विकसित की गई है और भाषा और गणित के लिए एफएलएन के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों (एलओएस) के साथ अनुकूलित की गई है और स्कूल में वितरित की गई है।

• पोस्टर: प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाने हेतु, भाषा और गणित के लिए विभिन्न भाषाओं में पोस्टर डिजाइन किए गए हैं।

- **विद्याप्रवेश कार्यक्रम:**
  i. प्री-स्कूलिंग से ग्रेड 1 तक बच्चों के सुचारू संचालन के लिए शिक्षक गाइडबुक और छात्र गतिविधि पुस्तिका के रूप में ग्रेड 1 के छात्रों के लिए तीन महीने का स्कूल तैयारी मॉड्यूल 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में लागू किया गया है।
  ii. इसमें कुल 65,689 सरकारी स्कूलों ने भाग लिया और 7,21,291 छात्रों का नामांकन हुआ।

एनईपी 2020 ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के मामले में महाराष्ट्र में स्कूली शिक्षा को काफी प्रभावित किया है । निपुण भारत जैसे राष्ट्रीय मिशनों के साथ मिलकर राज्य की पहल, अपने युवा शिक्षार्थियों के लिए एक मजबूत शैक्षिक आधार बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे उनकी दीर्घकालिक शैक्षणिक और व्यक्तिगत सफलता में योगदान मिलता है।

(**घ**): सरकार ने स्कूल शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने तथा विद्यार्थियों के रोजगारपरक कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के कौशल शिक्षा घटक के तहत लाभकारी रोजगार हेतु आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल विकसित करने के लिए योजना के अंतर्गत कवर स्कूलों में कक्षा **9** से **12** तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा **IX** और **X** में, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अर्थात् कक्षा **XI** और **XII** में कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में संचालित किए जाते हैं। कौशल न्यूनता विश्लेषण के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए अब तक **138** जॉब रोल्स (जेआर)/कौशल विषयों को मंजूरी दी गई है। जेआर पाठ्यक्रम में संप्रेषण कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार कौशल मॉड्यूल शामिल किए गए है। स्कूलों और डाइट्स में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यावसायिक या कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा की मौजूदा योजना को नया रूप दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नई पहलों जैसे इंटर्नशिप, बैगलेस दिवस, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा आदि को सहायता प्रदान की जा रही है। एनईपी **2020** की चौथी वर्षगांठ पर छात्रों के लिए **10** बैगलेस दिनों के दिशानिर्देश जारी किए गए।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के समन्वय से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) स्कूल शिक्षा क्षेत्र में पीएमकेवीवाई **4.0** को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग उद्योग क्षेत्र की साझेदारी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में छात्रों के ज्ञान और अनुभव को बढ़ा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** के अनुसरण में विकसित स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उक्त उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक क्षमताएं, ज्ञान और प्रासंगिक मूल्य विकसित किए जाएंगे और इससे उनके लिए स्कूल के बाद कार्यबल में शामिल होने की संभावना यदि वे ऐसा करना चाहें पैदा होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) **2020** में शैक्षिक ढांचे के प्रमुख घटक के रूप में स्कूलों में परामर्श के महत्व पर बल दिया गया है। यह नीति प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और सकारात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए कैरियर मार्गदर्शन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की सिफ़ारिश करती है। एनईपी **2020** कैरियर मार्गदर्शन सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग को भी बढ़ावा देती है। डीओएसईएल द्वारा एनईपी **2020** की चौथी वर्षगांठ समारोह पर स्कूली छात्रों के लिए करियर गाइड बुक का विमोचन किया है। इस कैरियर गाइड बुक में **21** क्षेत्रों के **500** कैरियर कार्ड शामिल हैं। प्रत्येक कैरियर कार्ड में कार्य प्रोफ़ाइल, आवश्यक व्यक्तिगत गुण, पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रवृत्ति, ऋण संभावनाएं, प्रवेश मार्ग, पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली

संस्थाओं (सरकारी/निजी/ऑनलाइन पाठ्यक्रम) के बारे में विवरण और क्षेत्र में अग्रणी लोगों के उदाहरण शामिल हैं। इस पुस्तक की प्रति **https://dsel.education.gov.in/careers/index.html** पर उपलब्ध है।

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्श को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो विद्यार्थियों को उनकी पसंद, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार उपलब्ध विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। समग्र शिक्षा की संशोधित योजना में ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में प्रत्येक ब्लॉक/यूएलबी पर कैरियर परामर्श के लिए एक अकादमिक संसाधन व्यक्ति की व्यवस्था करने का प्रावधान है। डीओएसईएल ने समग्र शिक्षा के तहत बीआरसी में कैरियर परामर्श के लिए अकादमिक संसाधन व्यक्ति के प्रावधान के लिए दिशानिर्देशों को भी अंतिम रूप दिया है, जो **https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/guidelines_brc_1707.pdf.** पर उपलब्ध हैं।

(**ङ**): शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार बुनियादी अध्ययन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) क्रमशः 20 अक्टूबर, 2022 और 23 अगस्त, 2023 को जारी की। एनसीएफ- एफएस और एनसीएफ-एसई को क्रमशः https://ncert.nic.in/pdf/NCF_for_Foundational_Stage_20_October_2022.pdf और https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/ncf_2023.pdf पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

(**च**): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) **2020** में बताया गया है कि "शिक्षक वास्तव में हमारे बच्चों के भविष्य को- और इसलिए, हमारे राष्ट्र के भविष्य को भी आकार देते हैं। हमारे बच्चों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण आवश्यक है।" एनईपी **2020** में परिकल्पना की गई है कि शिक्षकों को आत्म-सुधार के लिए निरंतर अवसर दिए जाने चाहिए और उन्हें अपने व्यवसायों में नवीनतम नवाचारों और प्रगति को सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। प्लेटफ़ॉर्म (विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म) विकसित किए जाने हैं ताकि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं के हितों से प्रेरित होकर स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए प्रति वर्ष कम से कम **50** घंटे सीपीडी (निरंतर व्यावसायिक विकास) अवसरों में भाग लें।

शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के माध्यम से निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) कार्यक्रम जैसी पहलों को लागू किया जाता है। यह शिक्षक योग्यता बढ़ाने, नवीन शैक्षणिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर

एनईपी की प्राथमिकता के अनुरूप है। निष्ठा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, समानता को बढ़ावा देने और जीवंत, समावेशी एवं भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली बनाने के एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसके अतिरिक्त, सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए मानदंड और मानक, एक चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम जिसे **21**वीं सदी की मांगों के लिए शिक्षकों को व्यापक रूप से तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा **26** अक्टूबर **2021** को अधिसूचित किया गया है। जैसा कि एनईपी **2020** में उल्लिखित है, आईटीईपी एक अग्रणी पहल है जो शिक्षा को एक विशिष्ट अनुशासन और चरण-विशिष्ट विशेषज्ञता से सुसज्जित करती है। यह दोहरा प्रमुख कार्यक्रम चार वर्ष तक चलता है और इसे विभिन्न स्कूल चरणों: आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक को पूरा करने के लिए संरचित किया गया है। आईटीईपी पाठ्यक्रम रूपरेखा और चरण-विशिष्ट पाठ्यक्रम एनईपी **2020,** राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ़) और राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ़) के साथ अनुकूलित है और **21**वीं सदी के कौशल और क्षमताओं पर जोर देता है।

शिक्षकों के पेशेवर विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) और राष्ट्रीय मार्गदर्शन मिशन (एनएमएम) विकसित किए गए हैं। एनपीएसटी कैरियर के विभिन्न चरणों में प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक योग्यताओं की रूपरेखा तैयार करता है। एनएमएम शिक्षकों को पेशेवर और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने हेतु सलाहकारों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। एनपीएसटी मार्गदर्शक दस्तावेज़ और एनएमएम ब्लूबुक को व्यापक प्रसार के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

इसके अलावा, एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना की विभिन्न गतिविधियों/घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के कार्यक्रमगत और वित्तीय मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण और देश में सभी **613** कार्यात्मक डीआईईटी के भौतिक उन्नयन के लिए चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि डीआईईटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जा सके।

(**छ**): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक, घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। तत्पश्चात, जहाँ भी संभव हो, गृह/स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जारी रखा जाएगा।

युवा और वयस्क शिक्षार्थियों के बीच भाषा सीखने को बढ़ावा देने के लिए; प्राइमर्स - पुस्तक के रूप में शिक्षण सामग्री (प्रिंट या डिजिटल), डिज़ाइन की जा रही है। ऐसे संसाधन पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं - जो किसी विशिष्ट भाषा में युवा और वयस्क शिक्षार्थियों के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं।

- पहले चरण में कुवी और देसी प्राइमर्स को 17 अगस्त 2023 को ओडिशा के भुवनेश्वर में इसके व्यापक प्रसार और उपयोग के लिए लॉन्च किया गया।
- दूसरे चरण में 9 मार्च 2024 को भारतीय भाषाओं में 52 प्राइमर्स जारी किए गए।
- आज तक कुल 104 प्राइमर्स लॉन्च किए जा चुके हैं। इन प्राइमर्स को व्यापक प्रसार के लिए एनसीईआरटी वेब पोर्टल: **https://ncert.nic.in/primers.php?ln=en** और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है और मुद्रित प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एससीईआरटी के साथ साझा की गई हैं।

इसके अलावा, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल - निष्ठा 3.0 ऑनलाइन शुरू की गई है ताकि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) से कक्षा V तक के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसमें मूलभूत वर्षों में बहुभाषी शिक्षण पर एक समर्पित मॉड्यूल सहित 12 प्रशिक्षण मॉड्यूल हैं, जिसमें शिक्षण में मातृभाषा/घर की भाषा का उपयोग भी शामिल है।

(ज): इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए उपेक्षित और वंचित बच्चों सहित बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही समग्र शिक्षा योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म, प्रारंभिक स्तर पर नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, जनजातीय भाषा के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकों का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री, माध्यमिक स्तर तक परिवहन/अनुरक्षण सुविधा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु के अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को प्रति कक्षा प्रति बच्चा 2000 रुपये की सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और पुस्तकें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सहायता शामिल है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए

स्कूलों को खोलना/सुदृढ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, असंतृप्त जनजातीय आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ करना और डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी को सुदृढ करना, आईसीटी और डिजिटल पहल का प्रावधान शामिल है।

******